2026:AHC-LKO:19214

उच्च न्यायालय, न्यायिक खंडपीठ इलाहाबाद, लखनऊ

रिट - ए संख्या 13084 सन् 2025

सैयद मोहम्मद जाकी ....**याचिकाकर्ता**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, अपर मुख्य सचिव (राजस्व), लखनऊ तथा 4 अन्य ....**प्रतिवादीगण**

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	डी. के. सिंह चौहान
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री डी. के. सिंह चौहान तथा प्रतिवादी पक्ष की ओर से विद्वान राज्य अधिवक्ता को सुना गया।

2. याचिका दिनांक 17.10.2025 के उस आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा प्रतिवादीगण ने याचिकाकर्ता को पेंशन संबंधी लाभ, जिसमें ग्रेच्युटी एवं

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

अवकाश नकदीकरण (लीव एन्कैशमेंट) सम्मिलित है, प्रदान करने से इंकार कर दिया है। आगे यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाए कि वे दिनांक 01.03.1991 (पुष्टि की तिथि) से पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण का भुगतान ब्याज सहित करें।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में दिनांक 03.07.1987 को समेकन लेखपाल के पद पर अवकाश रिक्ति में दो माह की अवधि हेतु नियुक्त किया गया था, जिसे निरंतर जारी रखा गया तथा तत्पश्चात दिनांक 01.03.1991 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को समेकन लेखपाल के पद पर स्थायी कर दिया गया, जिस पद पर वह कार्यरत रहा। आगे यह भी निवेदित किया गया है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 08.09.2008 के आदेश द्वारा समेकनकर्ता के पद पर पदोन्नत किया गया तथा दिनांक 20.07.2012 के आदेश द्वारा उक्त पद पर भी उसे स्थायी कर दिया गया।

4. यह निवेदित किया गया है कि उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में याचिकाकर्ता सेवा में निरंतर कार्यरत रहा तथा अंततः दिनांक 31.01.2025 को सेवानिवृत्त हुआ, किन्तु सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ का भुगतान न किए जाने के कारण वह रिट याचिका संख्या 9850/2025 दाखिल करने के लिए बाध्य हुआ, जिसे दिनांक 01.09.2025 के आदेश द्वारा निस्तारित करते हुए संबंधित प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करने हेतु निर्देशित किया गया। विवादित आदेश उक्त आदेश के अनुपालन में पारित किया गया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा उपर्युक्त लाभों से वंचित करने का मुख्य आधार यह लिया गया है कि याचिकाकर्ता

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

की नियुक्ति केवल अवकाश रिक्ति के आधार पर की गई थी तथा उसे विधिवत नियमितीकरण के बिना ही स्थायी कर दिया गया, जो कि प्रावधानों के विरुद्ध था।

6. यह निवेदित किया गया है कि प्रतिवादीगण इस तथ्य को पूर्णतः दृष्टि से ओझल कर चुके हैं कि चूँकि याचिकाकर्ता को सेवा में स्थायी कर दिया गया था तथा वह सेवानिवृत्ति की तिथि तक निरंतर सेवा में कार्यरत रहा, अतः वह सिविल सेवा विनियम के विनियम 370 के अधीन आच्छादित था और इस प्रकार पेंशन संबंधी लाभों का अधिकारी था। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णयों, यथा ***उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम प्यारेलाल और अन्य*** (विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 350/2025) तथा ***उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम गोकिल राम*** (विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 358/2025) का भी उल्लेख किया है।

7. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 09/11.12.2025 के प्रतिउत्तर शपथपत्र के आधार पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन करते हुए निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति समेकन लेखपाल के पद पर मात्र दो माह की अवधि के लिए अवकाश रिक्ति के विरुद्ध की गई थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश पेंशन अर्हकारी सेवा एवं वैधीकरण अध्यादेश, 2020 तथा तत्पश्चात पारित अधिनियम, 2021 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए यह प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता की सेवा पेंशन के प्रयोजन हेतु "अर्हकारी सेवा" की परिभाषा के अनुरूप नहीं है। यह भी निवेदित किया गया है कि चूँकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल सेवा नियमावली, 1978 के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई थी तथा न ही उसका चयन उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमितीकरण नियमावली, 1991 के नियम 3(क) के अनुसार अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किसी कार्यकारी निर्देश के अधीन किया गया था, अतः उसकी

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नियुक्ति को स्थायी नहीं माना जा सकता। फलस्वरूप, उत्तर प्रदेश पेंशन पात्रता एवं वैधीकरण अध्यादेश, 2025 के नियम 3 के अनुसार वह पेंशन संबंधी लाभों का अधिकारी नहीं है।

8. उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया है कि ***प्यारेलाल*** (उपर्युक्त) तथा ***गोकिल राम*** (उपर्युक्त) के मामलों में पारित निर्णय याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वे आदेश संबंधित व्यक्तियों के व्यक्तिगत तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर पारित किए गए थे। यह भी निवेदित किया गया है कि सेवा में स्थायीकरण केवल नियमितीकरण के परिणामस्वरूप ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरांत, यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक 03.07.1987 को समेकन लेखपाल के पद पर अवकाश रिक्ति में प्रारंभ में दो माह की अवधि के लिए की गई थी। यह भी निर्विवाद है कि उसकी सेवाओं को उक्त पद पर दिनांक 01.03.1991 के आदेश द्वारा स्थायी कर दिया गया तथा वह उसके पश्चात निरंतर कार्यरत रहा। आगे यह भी स्वीकार है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 08.09.2008 के आदेश द्वारा समेकनकर्ता के पद पर पदोन्नत किया गया तथा दिनांक 20.07.2012 के आदेश द्वारा उक्त पद पर भी उसे स्थायी कर दिया गया। यह भी निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से लेकर दिनांक 31.01.2025 को सेवानिवृत्ति तक निरंतर सेवा में कार्यरत रहा तथा उक्त अवधि के दौरान उसकी सेवाएँ संतोषजनक रही हैं।

10. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को मुख्यतः इस आधार पर निरस्त किया गया है कि उसकी प्रारंभिक नियुक्ति संबंधित पद पर वर्ष 1978 की सेवा

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

नियमावली के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई थी तथा उसे वर्ष 1991 के नियमों के अनुसार नियमित नहीं किया गया, बल्कि सीधे ही सेवा में स्थायी कर दिया गया। अतः यह माना गया कि याचिकाकर्ता सिविल सेवा विनियमों के विनियम 370 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

11. अतः यह निर्विवाद है कि यद्यपि याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति अवकाश रिक्ति में की गई थी, तथापि उसकी सेवाओं को स्थायी किया गया तथा उसे पदोन्नति भी प्रदान की गई, और उसने वर्ष 1987 से लेकर दिनांक 31.01.2025 को सेवानिवृत्ति तक निरंतर सेवा प्रदान की है।

12. यह प्रतिवादीगण का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए स्थायीकरण एवं पदोन्नति संबंधी आदेशों को कभी भी किसी समय निरस्त अथवा वापस लिया गया हो, अथवा यह कि उसने वर्ष 1987 से 2025 तक निरंतर संतोषजनक सेवा प्रदान नहीं की हो।

13. उपर्युक्त पहलू पर इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा ***प्यारेलाल*** (उपर्युक्त) तथा ***गोकिल राम*** (उपर्युक्त) के प्रकरणों में विचार किया जा चुका है, जिनमें मुख्यतः इस आधार पर लाभ प्रदान किया गया कि कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के पश्चात इतने विलंबित चरण पर पेंशन संबंधी लाभों से वंचित करने हेतु इस प्रकार का आधार नहीं लिया जा सकता।

प्यारेलाल (उपर्युक्त) के प्रकरण में पारित निर्णय का प्रासंगिक अंश निम्नवत् है:

> *"5. पक्षकारों को सुनने के उपरांत यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि वर्तमान वाद में प्रतिवादी को दिनांक 08.08.1989 को समेकन लेखपाल के पद पर अस्थायी/अधिस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था।*

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

अभिलेख पर दिनांक 29.09.1998 का एक आदेश उपलब्ध है, जिसकी सत्यता पर अपीलकर्ता द्वारा कोई संदेह व्यक्त नहीं किया गया है, जिसके अनुसार प्रतिवादी – प्यारे लाल की सेवाओं को समेकन लेखपाल के पद पर दिनांक 19.08.1991 से प्रभावी करते हुए स्थायी कर दिया गया था।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं से यह पूछा कि वह नियमितीकरण का आदेश कहाँ है, जो स्थायीकरण के आदेश से पूर्व होना अपेक्षित था, किन्तु कोई भी इसे हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। तथापि, यह विवादित नहीं है कि दिनांक 29.09.1998 के आदेश द्वारा प्यारे लाल की सेवाओं को उक्त पद पर दिनांक 19.08.1991 से प्रभावी करते हुए स्थायी कर दिया गया था। वास्तव में, दिनांक 20.02.2025 के उस आदेश से, जिसे रिट न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, यह स्पष्ट होता है कि स्थायीकरण के पश्चात उन्हें दिनांक 01.02.2001 को समेकनकर्ता के पद पर पदोन्नत किया गया तथा दिनांक 14.05.2011 को उक्त पद पर भी उन्हें स्थायी कर दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने दिनांक 31.03.2024 को समेकनकर्ता के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण की। प्रतिवादी द्वारा पेंशन संबंधी लाभों का दावा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि उसकी सेवाओं का कभी नियमितीकरण नहीं किया गया था, अतः उसे पेंशन संबंधी लाभों का भुगतान अवैध रूप से किया गया था। तथापि, उक्त आदेश पारित करते समय समेकन आयुक्त इस तथ्य को दृष्टिगत करने में विफल रहे कि नियमितीकरण, स्थायीकरण से पूर्व होता है तथा यह निर्विवाद है कि प्रतिवादी की सेवाओं को दिनांक 29.09.1998 के आदेश द्वारा दिनांक 19.08.1991 से प्रभावी करते हुए स्थायी कर दिया गया था। दिनांक 20.02.2025 के आदेश में हमें ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं मिलता कि स्थायीकरण

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

का आदेश कपटपूर्ण अथवा अवैध रूप से पारित किया गया था। इसके अतिरिक्त, उक्त आदेश में यह भी उल्लिखित है कि दिनांक 05.02.2024 को अपर मुख्य सचिव द्वारा सेवाओं को अनुमानित रूप से नियमित मानते हुए कुछ अन्य अधिकारियों को पेंशन का भुगतान किया गया, किन्तु प्रतिवादी को उक्त लाभ प्रदान नहीं किया गया।

7. ऐसी स्थिति में, यह हमारी समझ से परे है कि इतने विलंबित चरण पर राज्य प्राधिकारियों द्वारा इस प्रकार का आधार उठाते हुए प्रतिवादी को पेंशन संबंधी लाभों से वंचित कैसे किया जा सकता है।

9. विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 20.02.2025 के आदेश को निरस्त करने के अतिरिक्त राहत संख्या 2 भी प्रदान की है। जहाँ तक दिनांक 20.02.2025 के आदेश की वैधता का प्रश्न है, उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर हम रिट न्यायालय के निर्णय को उस सीमा तक यथावत् रखते हैं, जहाँ तक उक्त आदेश को निरस्त किए जाने का संबंध है।तथापि, जहाँ तक राहत संख्या 2 का संबंध है, अर्थात् प्रतिवादी द्वारा दिनांक 19.08.1989 से 19.08.1991 तक दी गई अधिस्थायी सेवाओं को पेंशन संबंधी लाभों की गणना हेतु शामिल करने का प्रश्न है, हम उक्त निर्णय को बनाए रखना कठिन पाते हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा एवं वैधीकरण अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के दृष्टिगत, जिसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है तथा जो इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

11. उपर्युक्त विचार-विमर्श के आलोक में, हम रिट न्यायालय के निर्णय में इस सीमा तक संशोधन करते हैं कि जहाँ उसमें पेंशन/सेवानिवृत्तोत्तर लाभों की गणना हेतु प्रतिवादी द्वारा प्रदान की गई अधिस्थायी सेवाओं को जोड़ने का प्रावधान किया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गया है, वह स्वीकार्य नहीं होगा; अर्थात् उक्त सेवाओं को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। अब सेवानिवृतीोत्तर देयक विधि के अनुसार जितने अनुमन्य हों, उसी के अनुरूप देय होंगे। उक्त देयकों का भुगतान, यदि कोई अन्य विधिक बाधा न हो, तो तीन माह की अवधि के भीतर किया जाएगा। दिनांक 19.08.1991 से प्रदत्त सेवाओं को ही उपर्युक्त पेंशन संबंधी लाभों के लिए विचार में लिया जाएगा, न कि उससे पूर्व प्रदान की गई सेवाओं को। "

14. उक्त तर्क/विचार का अनुसरण ***गोकिल राम*** (उपर्युक्त) के प्रकरण में भी किया गया है।

15. यह निर्विवाद है कि उपर्युक्त निर्णय अंतिमता प्राप्त कर चुके हैं तथा संबंधित व्यक्तियों को उनके लाभ भी प्रदान किए जा चुके हैं।

16. यद्यपि राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि उपर्युक्त निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में लागू नहीं होते, क्योंकि संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति अवकाश रिक्ति में नहीं हुई थी, तथापि इस न्यायालय के विचार में उक्त तथ्य अप्रासंगिक है, जब पेंशन संबंधी लाभों से वंचित करने का आधार समान है।

17. उपर्युक्त किए गए विचार-विमर्श के आलोक में, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याची को प्रदान किए गए स्थायीकरण एवं पदोन्नति के लाभों से इंकार नहीं किया गया है, उक्त लाभ याची को प्रदान किया जाना आवश्यक है, विशेषतः सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 370 के परिप्रेक्ष्य में, जो यह इंगित करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन निरंत अस्थायी अथवा कार्यवाहक सेवा, जो बिना किसी व्यवधान के स्थायीकरण द्वारा अनुसरित हो, पेंशन संबंधी लाभों के लिए अर्ह मानी जाएगी। सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 370 के प्रावधान निम्नलिखित हैं:-

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"370. उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन निरंतर अस्थायी अथवा कार्यवाहक सेवा, जो बिना किसी व्यवधान के उसी या किसी अन्य पद पर स्थायीकरण द्वारा अनुसरित हो, पेंशन हेतु अर्ह मानी जाएगी, सिवाय निम्नलिखित के–

(1) ऐसे अस्थायी अथवा कार्यवाहक सेवा की अवधि, जो गैर-पेंशनयोग्य स्थापना में रही हो;

(2) कार्य-भारित स्थापना में की गई सेवा की अवधि;

और

(3) आकस्मिक व्यय से वेतनित पद पर की गई सेवा की अवधि।"

18. स्पष्टतः, सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 370 में उल्लिखित अपवाद याची के मामले में लागू नहीं होंगे, क्योंकि यह निर्विवाद है कि उसकी सेवाएं दिनांक 01.03.1991 से स्थायी कर दी गई थीं।

19. उपर्युक्त किए गए विचार-विमर्श के आलोक में, दिनांक 17.10.2025 का विवादित आदेश इस द्वारा उत्प्रेषण प्रकृति की रिट जारी करते हुए निरस्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, परमादेश प्रकृति की एक अन्य रिट जारी की जाती है, जिसके द्वारा संबंधित प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह याची को सेवानिवृत्ति उपरांत देय लाभों का भुगतान करे, इस शर्त के साथ कि याची द्वारा स्थायीकरण से पूर्व की गई अस्थायी सेवा को गणना में सम्मिलित न किया जाए।

उक्त प्रयोजन हेतु, याची द्वारा दिनांक 01.03.1991 को स्थायीकरण के पश्चात प्रदान की गई सेवाओं को ही गणना में लिया जाएगा। इस निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा वास्तविक लाभ का भुगतान, इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर याची को कर दिया जाएगा।

20. परिणामस्वरूप, याचिका सफल होती है और ***स्वीकार*** की जाती है। पक्षकार अपने-अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

17 मार्च, 2026

सुबोध/

Translated Version. Not for Legal Use.

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।